

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
56/2021

तारीख दायर
17-02-2021

तारीख फैसला
08.12.22

उनवान

01. उदयराम पुत्र श्री थानाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 04, अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
1/1 सोराम
1/2 करणसिंह
1/3 आसाराम
1/4 प्रभुदयाल
1/5 लक्ष्मण पुत्रान स्व श्री उदयराम
1/6 निर्मल पुत्री स्व. श्री उदराम जातियान सैनी निवासीगण वार्ड नं. 04 अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
 02. गोपाल पुत्र श्री थानाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 04 अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
 03. मन्जू पत्नि स्व0 श्री त्रिलोक कुमार
 04. सिमरण उम्र करीब 14 साल
 05. टीना उम्र करीब 12 साल
 06. लोकेश उम्र करीब 10 साल पिसरान स्व श्री त्रिलोककुमार नाबालिगान जरिये वलीसरपस्त माता मन्जू जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
 07. पूरन चन्द
 08. राजेन्द्र कुमार पुत्र कबूल
 09. विजयकुमार
 10. हुक्मचन्द पुत्रान श्री नारायण जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
- :: वादीगण

बनाम

01. गिरधारी पुत्र श्री कन्हैयालाल
 02. चिरंजी पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति सैनी निवासीगण वार्ड नं. 03, मेहदीवाला कुआ, अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
 03. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर
 04. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी पैरोकार तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)
 05. श्रीमान शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
- :: प्रतिवादीगण

1
Gh
उपखण्ड अधिकारी

दादा तकरामा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 155 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय :-

प्रकरण में शुभम युवालय द्वारा प्रकार है कि दादी ने यह दादा तकरामा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 155 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दादा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर विवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 055 रकबा 0 10 हैक्ट, 059 रकबा 0 28 हैक्ट, 060 रकबा 0 08 हैक्ट, 061 रकबा 0 15 हैक्ट, 064 रकबा 0 20 हैक्ट, 065 रकबा 0 82 हैक्ट, 078 रकबा 0 35 हैक्ट, 079 रकबा 0 15 हैक्ट, 080 रकबा 0 25 हैक्ट, 081 रकबा 0 08 हैक्ट, 082 रकबा 0 05 हैक्ट, 083 रकबा 0 04 हैक्ट, 084 रकबा 0 28 हैक्ट, कुल कित्ता 13 रकबा 2 84 हैक्ट दाके मय तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) स्थित है। विवादित आराजी तदयसम पुत्र श्री भानाराम के नारिसान 1/1 लगान 1/6 जाति माली निवासी वार्ड नं 04 अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) दादी संख्या 2 मीमाला पुत्र भानाराम जाति माली निवासी वार्ड 4 अलवर रोड तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर, दादी संख्या 3 लगान 6 मन्जू पत्नि स्व0 श्री त्रिलोक कुमार शिगरण उम कशीव 14 साल टीना उम कशीव 12 साल लीकेश उम कशीव 10 साल पिसयन स्व श्री त्रिलोककुमार नाबालिमान जरिये वलीसपरत माता मन्जू जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) इनके नाम अगो विशरत इन्तकाल दर्ज व मन्जूर नहीं हुआ है, राजेन्द्र कुमार पुत्र कबूल, पूरन चन्द, विजयकुमार, हुक्मचन्द पुत्रान श्री नारायण जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) व प्रतिवादीगण गिस्थाी पुत्र श्री कन्हैयालाल, चिरजी पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति यैनी निवासीगण वार्ड नं 03, मेहदीवाला कुआं, अलवर रोड, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) की मुताबिक फर्द जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी संख्या 1 का 1/8 भाग, वादी संख्या 2/ का 1/8 भाग, वादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/32 भाग व वादी संख्या 7 का 1/32 भाग, व वादी संख्या 8 का 1/8 भाग, वादी संख्या 9 का 1/32 भाग वादी संख्या 10 का 1/32 भाग यानि वादीगण का समस्त का 1/2 भाग व प्रतिवादी गण का 1/2 भाग मुताबिक जमाबन्दी हिसा निहित है। राजस्व रिकार्ड में शागलात का अंकन दर्ज है। विवादित आराजी में अपने अपने हिसरे की भूमि पर शान्तिपूर्वक काविज व दाखिल होकर उपभोगा करते आ रहे है अब प्रतिवादीगण 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है जो भू माफिया गिरोह के साथ साज बाज है और प्रतिवादी गण जानबूझकर हम वादीगण के हिसरे में जबरन घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर, जबरन निर्माण कर विवादित आराजी में बिना भू-रूपान्तरण निर्माण व प्लोटिंग कर किरसी दीगर जगह बेवान करने पर आगादा है। हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विवादित आराजीयात बावत वार्ड मिट्टरा एण्ड बाउण्डरा आज तक कोई तकारामा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त नाम के अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 आये दिन हम वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है तथा हम वादीगण को आराजी से बेदखल करने, विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने व कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने की धमकी देते है निहित अपने हिसरे का जिस पर वक्त बयनामा से काविज व दाखिल है, का मौके पर काविज अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तकारामा कराकर, अलग कुर्रैजात कायम कराकर, अपना खाता अलग कराना चाहता है, जिस हेतु यह वाद पत्र तमारामा मय हुक्मइम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है।

2
उपखण्ड अधिका
तिजारा (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व बाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 3 पैशकार फोरकार फोरमल पक्षकार है परन्तु जबाब प्रस्तुत नहीं इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बाद तामिल अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में पक्षकारान वादी, प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के सहखातेदार है। आराजी का तकारामा किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में दिनांक 21-10-2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवारा रकम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।

तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/3212 दिनांक 09-11-2022 के द्वारा प्रकरण में कुरे रिपोर्ट तैयार करा फाईल कराई गई। उभयपक्षकारान ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है हाल आराजी खसरा नम्बर 958 रकबा 0.10 हैक्ट., 959 रकबा 0.28 हैक्ट., 960 रकबा 0.08 हैक्ट., 961 रकबा 0.15 हैक्ट., 964 रकबा 0.20 हैक्ट., 965 रकबा 0.41 हैक्ट., 978 रकबा 0.35 हैक्ट., 979 रकबा 0.16 हैक्ट., 980 रकबा 0.25 हैक्ट., 982 रकबा 0.05 हैक्ट., 983 रकबा 0.04 हैक्ट., 984 रकबा 0.28 हैक्ट. कुल कित्ता 13 रकबा 2.84 है 0 वाके राजस्व ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
01.	सौराम, करणसिंह, आशाराम, प्रभुदयाल, लक्ष्मण, पुत्रान	958	0.10	चा.1	168
	उदयराम स.भाग 5/24 हिस्सा, निर्मल, पुत्री उदयराम 1/24	959	0.28	चा.1	470
	हिस्सा, गोपाल पुत्र थानाराम 1/4 हिस्सा, मन्जू पत्नि व	960	0.08	चा.1	134
	सिमरण, टीना पुत्रीयान व लोकेश पुत्र त्रिलोक कुमार	961/1	0.12	चा.1	
	नावालिंगान जय वलीसरपरस्त माता मन्जू 1/16 हिस्सा	964/1	0.10	चा.1	
	पूरनचन्द पुत्र नारायणलाल 1/16 हिस्सा, राजेन्द्र कुमार पुत्र	965/1	0.41	चा.1	
	कबूल राहिन BOB तिजारा 1/4 हिस्सा, विजय कुमार,	980/1	0.07	चा.1	
	हुक्मचन्द पुत्रान नारायण स.भाग 1/8 हिस्सा जाति सैनी	981	0.08	गै.मु.चा.	
	सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूरनचन्द 1/16 हिस्सा,	982	0.05	गै.मु.आ	
	विजयकुमार 1/24 हिस्सा BRKGB तिजारा	983	0.04	गै.मु.रा.	
		984/1	0.09	चा.1	
		कित्ता 11	1.42		
	गिरधारी पुत्र कन्हैया राहिन BRKGB तिजारा 1/2 हिस्सा,	961/2	0.03	चा.1	
	चिरजी पुत्र कन्हैया 1/2 हिस्सा जाति सैनी सा देह खातेदार	964/2	0.10	चा.1	
		965/2	0.41	चा.1	

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding numbers. The names are written in a cursive script, and the numbers are in a standard font. The list is organized into three columns.

2. The second part of the document is a single line of text, also written in a cursive script. It appears to be a signature or a title.

3. The third part of the document is a blue ink stamp or signature. It is located on the right side of the page and consists of several lines of text that are mostly illegible due to the blurring and the angle of the image.